दिनांक 14/6/24 को पेश की गई

14/6/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी के वकील गण हाजिर। वादिनी व अन्य साक्षी व अन्य पैरवीकार गैर हाजिर। बिना जाने ही चुका है अतः T.I. पत्रावली को कोई औचित्य नहीं है। लिखित प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल हेतु नियत की जाकर अग्रिम सूचनार्थ दी जाय।